राजस्थान सरकार

(कायदा – 120)

जनरल रूल्स सिविल रूल्स 129 अपेन्डेक्स फार्म नंबर 8 के

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बिजौलिया जिला – भीलवाड़ा (राज.)

2024/397

किस्म मुकदमा	नंबर मुकदमा	तारीख दायर	तारीख फैसला	पेशी दिनांक
1	2	3	4	5
88 RT Act ढाणी	129/2024	18/7/24 निर्णीत 7/4/25	15/4/25 6/5/25 7/5/25	20/8/24 2/9/24 30/9/24 16/10/24 6/11/24 19/11/24 27/11/2[illegible] 18/12/2[illegible] 16/1/[illegible] 12/2/25 24/2/[illegible] 3/3[illegible] 18/3[illegible] 25/3[illegible] 7/[illegible]

अनवान 4/6/25

श्री शेरसिंह पिता मोड़सिंह

निवासी बिजौलिया

अधिवक्ता वादी / प्रार्थी / अपीलान्ट

डिक्रीदार

श्री जगदीश चन्द्र धाकड़

श्री शंकर बाई पत्नि[illegible]

निवासी बिजौलिया

अधिवक्ता प्रतिवादी / विपक्षी /

मदयून

श्री रामपु[illegible]

FORM NO. III

फर्द अहकम

नियम 26

अज न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मुकाम बिजौलिया जिला भीलवाड़ा

शेरसिंह बनाम शंकरीबाई

किस्म मुकदमा धारा 88 नम्बर 129 सन 2024

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
8/7/24	वाद पत्र सीगे से बाद जॉच पेश हुआ। अधिवक्ता वादी उपस्थित। वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर तलबी जरिये सम्मन मय नकल प्रार्थना पत्र विपक्षी/विपक्षीगणों को जारी हो। पत्रावली वास्ते तलबी दिनांक 20/8/2024 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी बिजौलिया जिला भीलवाड़ा	
20/8/24	पत्रावली पेश हुई। समस्त विपक्षीगण की बाद तामील प्राप्त, जिन्हें शामिल पत्रावली किया गया। विपक्षी (12) की तरफ से परोकार स्वयं उपस्थित। पत्रावली वास्ते उचित आदेश। आगामी दिनांक 2/9/24 को पेश हो	
2/9/24	पत्रावली पेश हुई। विपक्षीगण बाद सूचना अनुपस्थित। पत्रावली वास्ते उचित आदेश। आगामी दिनांक 30/9/24 को पेश हो	
[illegible]/9/24	पत्रावली पेश हुइ। अभिभाषक वादी/प्रतिवादी उपस्थित श्रीमान P.O. सा. दौरे पर हैं। प्रात्रावली दिनांक 16/10/24 को वास्ते उ. आदेश पेश हो। उपखण्ड अधिकारी	
[illegible]/10/24	पत्रावली पेश हुइ। अभिभाषक वादी/प्रतिवादी उपस्थित श्रीमान P.O. सा. दौरे पर हैं। प्रात्रावली दिनांक 2/11/24 को वास्ते उ. आदेश पेश हो। उपखण्ड अधिकारी	

FORM NO. III

फर्द आदेश

(नियम 26)

अज न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मुकाम बिजौलियां, जि

शेरसिंह .... बनाम .... ग्रंहरी

बिरस मुकदमा धारा 88 RTA .... मुकदमा नम्बर

GCMS नम्बर 2024/397

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
24/2/25	पत्रावली पेश हुई पत्रावली वास्ते साक्ष्य/बहस आगामी दिनांक 03/03/25 को पेश हो।
3/3/25	पत्रावली पेश हुई पत्रावली वास्ते साक्ष्यवादी आगामी दिनांक 18/3/25 को पेश हो।
18/3/25	पत्रावली पेश हुई वादी के अधिवक्ता ने माधवसिंह व भारतसिंह के बयान लेखबद्ध करवाए जो शामिल पत्रावली हो पत्रावली वास्ते बहस/A आगामी दिनांक 25/3/25 को पेश हो।
25/3/25	पत्रावली पेश हुइ। अभिभाषक वादी/प्रतिवादी उपस्थित श्रीमान PO दौरे पर हैं। पत्रावली दिनांक 7/4/25 को वास्ते बहस/A पेश हो। उपखण्ड अधिकारी
7/4/25	पत्रावली पेश हुई पत्रावली वास्ते निर्णय/बहस आगामी दिनांक 06/5/25 को पेश हो।
6/5/25	पत्रावली पेश हुइ। अभिभाषक वादी/प्रतिवादी उपस्थित श्रीमान P.O सा दौरे पर हैं। पत्रावली दिनांक 7/5/25 को वास्ते निर्णय पेश हो। उपखण्ड अधिकारी

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

पत्रावली पेश हुई। [illegible] वादी / प्रतिवादी उपस्थित श्रीमान P.O. [illegible] दौरे पर हैं। प्रात्रावली दिनांक 21/6/25 को [illegible] निर्णय पेश हो।

उप खण्ड अधिकारी

पत्रावली पेश हुई अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित। पत्रावली को स्वी
किया गया। पत्रावली में विस्तृत नि
खुले न्यायालय में सुनाए गए ए
पृथक से लिखवाए गए। पत्रावली
में निर्णय पारित किया गया।
पत्रावली नम्बर से कम होकर
दाखिल दफ्तर हो।

उप खण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ जिला-भीलवाड़ा

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ जिला-भीलवाड़ा

ायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0)

न अधिकारी – श्रीमान अजीत सिंह राठौड़ (आर.ए.एस.) उपखण्ड अधिकारी

करण संख्या 129 / 2024

दायर तारीख 18 / 07 / 2024

अनवान

ेरसिंह पिता गोड़सिंह उर्फ गोड़ुलाल जाति दरोगा (रावणा राजपुत) उम्र वयस्क निवासी बिजौलिया तहसील बिजौलिया जिला भीलवाडा (राज0)

.........वादी

बनाम

1. शंकरीबाई पत्नि गोडसिंह उर्फ गोड़ुलाल जाति दरोगा (रावणा राजपुत) उम्र वयस्क निवासी बिजौलिया तहसील बिजौलिया जिला भीलवाडा (राज0)
2. बलवन्त सिंह पिता गोडसिंह उर्फ गोड़ुलाल जाति दरोगा (रावणा राजपुत) उम्र वयस्क निवासी बिजौलिया तहसील बिजौलिया जिला भीलवाडा (राज0)
3. प्रताप सिंह पिता गोडसिंह उर्फ गोड़ुलाल जाति दरोगा (रावणा राजपुत) उम्र वयस्क निवासी बिजौलिया तहसील बिजौलिया जिला भीलवाडा (राज0)
4. गायत्री पुत्री गोडसिंह उर्फ गोड़ुलाल जाति दरोगा (रावणा राजपुत) उम्र वयस्क निवासी बिजौलिया तहसील बिजौलिया जिला भीलवाडा (राज0)
5. कमला पत्नि राजेन्द्र सिंह जाति दरोगा (रावणा राजपुत) उम्र वयस्क निवासी बिजौलिया तहसील बिजौलिया जिला भीलवाडा (राज0)
6. आशा पुत्री राजेन्द्र सिंह जाति दरोगा (रावणा राजपुत) उम्र वयस्क निवासी बिजौलिया तहसील बिजौलिया जिला भीलवाडा (राज0)
7. चेतना पुत्री राजेन्द्र सिंह जाति दरोगा (रावणा राजपुत) उम्र वयस्क निवासी बिजौलिया तहसील बिजौलिया जिला भीलवाडा (राज0)
8. गुन्नु उर्फ गुनगुन पुत्री राजेन्द्र सिंह नाबालिग सरक्षंक माता कमला पत्नि राजेन्द्र सिंह जाति दरोगा (रावणा राजपुत) उम्र वयस्क निवासी बिजौलिया तहसील बिजौलिया जिला भीलवाडा (राज0)
9. निकीता पुत्री राजेन्द्र सिंह नाबालिग सरक्षंक माता कमला पत्नि राजेन्द्र सिंह जाति दरोगा (रावणा राजपुत) उम्र वयस्क निवासी बिजौलिया तहसील बिजौलिया जिला भीलवाडा (राज0)
10. प्रिया पुत्री राजेन्द्र सिंह नाबालिग सरक्षंक माता कमला पत्नि राजेन्द्र सिंह जाति दरोगा (रावणा राजपुत) उम्र वयस्क निवासी बिजौलिया तहसील बिजौलिया जिला भीलवाडा (राज0)
11. लक्की गोदपुत्र रूपलाल जाति दरोगा (रावणा राजपुत) उम्र वयस्क निवासी बिजौलिया तहसील बिजौलिया जिला भीलवाडा (राज0)
12. भूमिधारी जरिये तहसीलदार बिजौलिया तहसील बिजौलिया जिला भीलवाडा (राज0)

.........प्रतिवादीगण

01. श्री जगदीश चन्द्र धाकड़ – अधिवक्ता वादी
02. रामफूल धाकड़ – अधिवक्ता प्रतिवादीगण

वादपत्र अन्तर्गत धारा 88 रा0टि0एक्ट

–: निर्णय :–

दिनांक : 04/06/2025

वादपत्र के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 8 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम विरुद्ध प्रतिवादीगण इस न्यायालय में प्रस्तुत कर निवेदन

लगातार पेज संख्या 02 पर

उप खण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ जिला-भीलवाड़ा

ा है कि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 10 मोडसिंह उर्फ मोडुलाल के वारीसान प्रतिवादी नम्बर 11 रूपलाल जी का गोदपुत्र होकर वारीस है। इस वाद में मोडसिंह उर्फ डुलाल जी की आराजियात बाबत् विवाद है। इस शजरे में वर्णित मोडसिंह उर्फ मोडुलाल पुत्र हीरासिंह लाऔलाद फौत हो गया है तथा रूपलाल जी लाऔलाद फौत हुये उनकी ीय पत्नि सुगन्तादेवी ने भतीजे प्रतापसिंह के पुत्र लक्की को गोदपुत्र के रूप में गोद ले ा है। इसलिये प्रतिवादी नम्बर 11 को पक्षकार बनाया है। प्रतिवादी नम्बर 11 के विरूद्ध ुतोष नही चाहा गया है।

वादी एवं प्रतिवादीगण के पूर्वज मोड़सिंह उर्फ मोडुलाल के खातेदारी अधिकार ाधिपत्य की अलग– अलग ग्राम में निम्न आराजियात :– (अ) ग्राम सातकुडिया पटवार ल्का रेसुन्दा तहसील बिजौलिया जमाबन्दी सम्वत 2044 के खाता संख्या 47 पर अंकित ाराजी नम्बर 479/285 रकबा 6.00 बीघा भूमि खातेदार मोड़सिंह पिता लक्ष्मीनारायण 1/2 शंकरलाल पिता गोपाल – 1/2 के नाम स्थित हैं। खातेदार मोड़सिंह पिता क्ष्मीनारायण की मृत्यु होने से नामान्तरकरण संख्या 153 दिनांक 15.06.1988 को विरासत से ोड़सिंह के बजाय शंकरी बेवा मोड़सिंह, राजेन्द्रसिंह, बलवन्तसिंह, ोरसिंह,प्रतापसिंह,हीरालाल, के नाम दर्ज किया गया। इससे वादी का नाम विरासत से दर्ज किया गया है। इस कारण इस ग्राम की आराजी बाबत् कोई अनुतोष नही चाहता है।

(ब) ग्राम बिजौलिया पटवार हल्का बिजौलिया तहसील बिजौलिया की जमाबन्दी सम्वत 2047 से 2050 में खाता संख्या 291 पर अंकित आराजी नम्बर 1037 रकबा 11 बिस्वां, आराजी नम्बर 1047 रकबा 04 बिस्वां, आराजी नम्बर 818 रकबा 02 बीघा 05 बिस्वां कुल किता 03 रकबा 03 बीघा भूमि खातेदार मोडूलाल, रूपलाल पिता लक्ष्मीनारायण के उक्त खाते में खातेदार मोडूलाल पिता लक्ष्मीनारायण की मृत्यु होने से विरासत का नामान्तरकरण संख्या 1027 दिनांक 25.06.1992 निर्णित किया गया जिसमें वादी का नाम सेवन से छोडकर प्रतिवादीगण के नाम दर्ज कर दी गयी जबकि वादी का भी बराबर हिस्सा दर्ज होना चाहिये था। वर्तमान में हीरासिंह पुत्र मोडूलाल की लाऔलाद कुवारा मृत्यु होने से नाम हटाने के पश्चात् मोड़सिंह उर्फ मोडुलाल की जायदाद में वादी का 1/6 हिस्सा एवं प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 प्रत्येक का 1/6 –1/6 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 5 लगायत 10 प्रत्येक का 1/36– 1/36 हिस्सा मोडसिंह उर्फ मोडुलाल के 1/2 हिस्से में दर्ज होना चाहिये था। उक्त सम्पुर्ण आराजी में वादी को 1/12 हिस्से एवं प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 प्रत्येक को 1/12–1/12 हिस्से एवं प्रतिवादी संख्या 5 लगायत 10 प्रत्येक को 1/72–1/72 हिस्सेनुसार दर्ज होनी चाहिये। एवं खाता संख्या 529 पर अंकित आराजी नम्बर 1036 रकबा 03 बिस्वां, आराजी नम्बर 1427/1037 रकबा 08 बिस्वां कुल किता 02 रकबा 11 बिस्वा भूमि खातेदार मोडूलाल पिता लक्ष्मीनारायण के उक्त खाते में खातेदार मोडूलाल पिता लक्ष्मीनारायण की मृत्यु होने से विरासत का नामान्तरकरण संख्या 1027 दिनांक 25.06.1992 निर्णित किया गया जिसमें वादी का नाम सेवन से छोडकर प्रतिवादीगण के नाम दर्ज कर दी गयी जबकि वादी का भी बराबर हिस्सा दर्ज होना चाहिये था। वर्तमान में हीरासिंह पुत्र मोडूलाल की लाऔलाद कुवारा मृत्यु होने से नाम हटाने के पश्चात् मोड़सिंह उर्फ मोडुलाल की जायदाद में वादी को 1/6 हिस्सा एवं प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 प्रत्येक का 1/6 –1/6 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 5 लगायत 10 प्रत्येक का 1/36–1/36 हिस्सा मोड़सिंह उर्फ मोडुलाल के 1/2 हिस्से में दर्ज होना चाहिये था।

(स) ग्राम कैसूविलास पटवार हल्का जावदा तहसील बिजौलिया में जमाबन्दी सम्वत 2054 से 2057 के खाता संख्या 107 पर अंकित आराजी नम्बर 153 रकबा 06 बीघा 05 बिस्वां, आराजी नम्बर 154 रकबा 05 बीघा 05 बिस्वां, आराजी नम्बर 455/153 रकबा 05 बिस्वां कुल किता 03 रकबा 11 बीघा 15 बिस्वा भूमि खातेदार मोडूलाल पिता लक्ष्मीनारायण के नाम एवं खाता संख्या 108 पर अंकित आराजी नम्बर 153/171 रकबा 02 बीघा 10 बिस्वां कुल किता 01 रकबा 02 बीघा 10 बिस्वां भूमि खातेदार मोडूलाल पिता लक्ष्मीनारायण के नाम उक्त दोनो खाता संख्या 107 व 108 पर अंकित आराजी में खातेदार मोडूलाल की मृत्यु उपरान्त विरासत का नामान्तकरण संख्या 515 दिनांक 21.12.1999 निर्णित किया गया जिसमें सेवन से वादी का नाम अंकित नही किया गया तथा प्रतिवादी संख्या 4

उप खण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ जिला-भीलवाड़ा

...तार पेज संख्या 03 पर